



Neutral Citation No.- 2026:AHC:14092

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-45448 वर्ष 2024

दिलीप यादव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: देवेन्द्र कुमार मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा 2024 के अपराध संख्या-77 में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-सेन पश्चिम पारा, ज़िला: कानपुर नगर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, मृतक व्यक्ति ने आवेदक के साथ अपनी पत्नी के रूप में रहना शुरू कर दिया है और आवेदक के बारे में कहा जाता है कि उसने 5.3.2024 को उस पर कई बार हमला करके उसकी हत्या की थी।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी में देरी हो रही है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आवेदक खुद मृतक व्यक्ति को अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आवेदक का अपने ठेकेदार के साथ विवाद था, इसलिए उसने उक्त अपराध किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 9.3.2024 से जेल में है और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है कि यह एक क्रूर हत्या है। मृतक व्यक्ति को आवेदक के घर के परिसर में चोटें आईं। शव परीक्षण जांच रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को कुल 27 चोटें आई हैं और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों को समझाने की जिम्मेदारी आवेदक पर है। इस प्रकार, वह ज़मानत के हकदार नहीं है।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक को आवेदक के घर के परिसर के भीतर कुल मिलाकर 27 चोटें आई थीं, मुझे आवेदक को ज़मानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता।

8. ज़मानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

9. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्दी निर्णीत किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 20, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)